

कोर्ट फीस
टिकट 2 रु.

एफ-39
न्याय

जे-16

शस्त्र अनुज्ञापत्र के क्षेत्र विस्तार के लिये आवेदन-पत्र
अवधि से तक

1.	नाम आवेदक	
2.	पिता का नाम	
3.	वर्तमान पता पुलिस स्टेशन का नाम	
4.	शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या एवं जिले का नाम जहाँ से जारी है।	
5.	दर्ज शस्त्र की श्रेणी व नम्बर	
6.	अनुज्ञापत्र में अनुमत क्षेत्र	
7.	अनुज्ञापत्र की वैद्यता अवधि	
8.	प्रस्तावित क्षेत्र विस्तार	
9.	क्षेत्र विस्तार का औचित्य	
10.	अनुज्ञाधारी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय तथा राज्य के बाहर क्यों जाना पड़ता है?	
11.	सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के बाहर कोई असुरक्षा का भय इत्यादि जो जानकारी में आया हो, स्पष्ट करें।	
12.	गत एक वर्ष में कब-कब राज्य के बाहर कहाँ-कहाँ गये ? एवं क्यों ? प्रमाण संलग्न करें।	

नोट :- मूल लाईसेन्स संलग्न है।

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय कार्यवाही

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जाँच एवं टिप्पणी हेतु पुलिस अधीक्षक
वाला पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

को भेजा जाने

	लिपिक	शाखा प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
1.	पुलिस अधीक्षक सिफारिश की है।	से आवेदित क्षेत्र विस्तार की	
2.	यदि हों तो गृह विभाग को वास्ते क्षेत्र विस्तार गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को भिजवाया जाना उचित होगा।		
3.	आवेदित क्षेत्र विस्तार राजस्थान राज्य/जिला हेतु है अतः क्षेत्र विस्तार करना उचित होगा।		
4.	यदि नहीं तो आवेदक को अस्वीकृत के कारणों से सूचित कर दिया जावे।		

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी